रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, सोमवार, 7 जुलाई, 1969/आषाढ़ 16, 1891
No. 229] NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 1969/ASADHA 16, 1891

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
10 JUL
GOVERNMENT OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATIONS

*New Delhi, the 7th July* 1969

**S.O. 2817.**—Whereas by a notification under section 12 of Representation of the People Act, 1951, published in the Gazette of India, on the 7th July, 1969, the elected members of the Legislative Assembly of Pondicherry have been called upon to elect a member to the Council of States :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints with respect to the said election:—

(a) the 14th July, 1969, as the last date for making nominations;

(b) the 15th July, 1969, as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 17th July, 1969, as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 25th July, 1969, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 31st July, 1969, as the date before which the election shall be completed.

[No. 318/Pond/69(1).]

**S.O. 2818.**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10-00 A.M. to 12-00 noon as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken at the election to the Council of States from the Union Territory of Pondicherry to be held in pursuance of the notification under section 12 of the said Act, published in the Gazette of India on the 7th July, 1969.

[No. 318/Pond/69(2).]

**S.O. 2819.**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission in consultation with the Government of Pondicherry, hereby designates Shri J. N. Benoit, Secretary, Pondicherry Legislative Assembly, Pondicherry, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of the notification under section 12 of the said Act, published in the Gazette of India on the 7th July, 1969.

[No. 318/Pond/69(3) ]

**S.O. 2820.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Shri A. M. Joseph, Special Officer (Elections), Pondicherry, to assist the Returning Officer in the performance of his functions for the election to the Council of States to be held in pursuance of the notification under section 12 of the said Act, published in the Gazette of India on the 7th July, 1969.

[No. 318/Pond/69(4).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

---

## भारत निर्वाचन आयोग

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 जुलाई 1969

**एस० ओ० 2821.**—यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 12 के अधीन भारत के राजपत्र में तारीख 7 जुलाई, 1969 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा पाण्डिचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से राज्य सभा के लिए एक सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा की गई है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के बारे में—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख—14 जुलाई, 1969;

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख—15 जुलाई, 1969;

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख—17 जुलाई, 1969;

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा—25 जुलाई, 1969; तथा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा—31 जुलाई, 1969

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 318/पाण्डि/69(1)]

**एस० ओ० 2822.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में तारीख 7 जुलाई, 1969 को उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र से राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा ।

[संख्या 318/पाण्डि०/69(2).]

**एस० ओ० 2823.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग पाण्डिचेरी सरकार के परामर्श से, भारत के राजपत्र में तारीख 7 जुलाई, 1969 को उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए पाण्डिचेरी विधान सभा के सचिव श्री जे० एम० बैनोइट को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 318/पाण्डि०/69(3).]

**एस० ओ० 2824.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में तारीख 7 जुलाई, 1969 को उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए श्री ए० एम० जोसफ विशेष आफिसर (निर्वाचन), पाण्डिचेरी को एतद्द्वारा नियुक्त करता है ।

[संख्या 318/पाण्डि०/69(4).]

आदेश से

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969